न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

<table>
<tr><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

हेमेन्द्र कुमार ....बनाम.... सरपंच/सचिव
मु.नं.– 06/24 किस्म – अपील</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>स्थान पर 2+2 शुरू करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। अतः प्रा.पत्र 06R17 CPC स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र 06R17 CPC स्वीकार किया जाता है। साथ ही अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील पर बहस सुनी हेतु निवेदन किया। अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 6/6/25 को पेश हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)</td><td></td></tr>
</table>

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
06/2024	26.11.2024	06.06.2025

बउनवान

1. हेमेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. हरीश कुमार शर्मा, निवासी हल्दैना तहसील मण्डावर, दौसा हाल निवासी मिलिटरी हॉस्पीटल के सामने, नरूका बस्ती, अलवर।

..अपीलांट

बनाम

1. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री शिवदत्त जैमिनी।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 212 आदेश दिनांक 27.11.2004 ग्राम हल्दैना द्वारा ग्राम पंचायत हल्दैना तत्कालीन तहसील महवा हाल तहसील मण्डावर दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि निर्णय मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत हल्दैना का दिनाँक 27.11.2004 विधि विरुद्ध एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम हल्दैना पटवार हल्का हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा में कब्जे काश्त की पैतृक संयुक्त आराजी भूमि खाता सं. नया 271 पुराना 262 के खसरा सं. 850 रकबा 0.34 हैक्टे. एवं खाता सं. नया 299 के खसरा सं. 410 रकबा 0.26 हैक्टे., 411 रकबा 0.03 गै.मु. कुंआ, 412 रकबा 1.42 हैक्टे., कुल किता 3 कुल रकबा 1.71 हैक्टे. स्थित है जो कि विवादित आराजीयात है। विवादित आराजीयात हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि रही है जो कि अपीलान्ट के पिता स्व. हरीश कुमार को उनके पिता स्व. बंशीधर की मृत्यु के बाद विरासत में प्राप्त हुई थी। विवादित आराज़ीयात का राजस्व रिकॉर्ड में विरासत का नामकरण दर्ज करते समय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत हल्दैना ने अपीलांट के स्व. पिता का नाम हरीश कुमार के स्थान पर हरि प्रसाद दर्ज कर दिया और उक्त नामांतरकरण के आधार पर अपीलान्ट का नाम निर्णय दिनांक 27.11.2004 को हरीश कुमार के स्थान पर हरि प्रसाद कर दिया जबकि अपीलान्ट के पिता जो कि सरकारी कर्मचारी रहे थे, के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, सर्विस एवं पेंशन रिकॉर्ड के दस्तावेजों, बैंक पासबुक, पेन कार्ड आदि में हरीश कुमार ही दर्ज है जो सही है। इसलिए अपीलान्ट न्यायालय हाजा से अपने हक में इस अमर की दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है कि विवादित आराजीयात जो कि अपीलान्ट को विरासत में प्राप्त हुई है, में सहवन से निर्णय जेरे अपील दिनांक 27.11.2004 में दर्ज किया गया नाम हरि प्रसाद को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम हरीश कुमार पुत्र स्व. बंशीधर दर्ज फरमाया जावे जो सही है, को राजस्व रिकॉर्ड में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

दर्ज किया जावे। इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत हल्दैना ने ध्यान न देकर भारी कानूनी गलती की है। इसलिए निर्णय जेरे अपील मातहत ग्राम पंचायत हल्दैना दिनांक 27.11.2004 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता हरीश कुमार का स्वर्गवास दिनांक 11.11.2018 हो चुका है। अपीलान्ट के दादा स्वर्गीय बंशीधर के हरि प्रसाद नाम का कोई पुत्र नहीं हैं। अपीलान्ट के स्व. पिता का नाम हरीश कुमार के स्थान पर हरि प्रसाद दर्ज कर दिया जिनका नाम नामान्तकरण में दुरूस्त कर हरीश कुमार दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान दिए बगैर नामान्तकरण जेरे अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अपने पिता के गलत नाम दर्ज की जानकारी तब हुई, जब अपीलान्ट ने विरासत का नामान्तकरण खुलवाने एवं सरकारी सहायता प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी सम्पर्क कर जमाबंदी की नकल दिनांक 27.10.2024 को प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलान्ट को अपने पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने की कोई जानकारी नहीं रही है, जानकारी होते ही बिना किसी प्रकार की देरी किये अपील अन्दर नियाद प्रस्तुत है। उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम हल्दैना, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित होने से माननीय न्यायालय अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार को प्राप्त है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर निर्णय नामान्तकरण मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा दिनांक 27.11.2004 अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता का सही नाम हरीश कुमार पुत्र स्व. बंशीधर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। अन्य दादरसी जो अपीलान्ट के हक में है और अता फरमाई जावे।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट बाद नोटिस तामील कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर इनके जबाव का अवसर बंद किया गया।

3. अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024, ग्राम पंचायत हल्दैना के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 212 आदेश दिनांक 27.11.2004 का अवलोकन किया गया।

5. ग्राम पंचायत हल्दैना के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 212 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत हल्दैना द्वारा बन्शीधर पुत्र रामचन्द्र के फौत होने पर उसके वारिसान हरिप्रसाद विजयकुमार रमेशचन्द पि. बंशीधर के नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी।

6. तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024 के अनुसार "हेमेन्द्र कुमार के पिताजी का नाम ग्राम हल्दैना की जमाबंदी संवत 2072–75 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थाई के खाता सं. 299 के खसरा सं. 410, 411 एवं 412 कुल किता 3 रकबा 1.71 हैक्टे. हि. 1/3 एवं खसरा सं. 850 रकबा 0.34 हैक्टे. हि. 1/3 पर हरिप्रसाद पुत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बंशीधर दर्ज रिकॉर्ड है। ग्रामवासियों से की गई जानकारी अनुसार हरिप्रसाद का सही नाम हरीश कुमार है एवं हरिप्रसाद एवं हरीश कुमार एक ही व्यक्ति है। हेमेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी प्रार्थी के पिताजी का नाम हरिप्रसाद के स्थान पर हरीश कुमार अंकित है। हेमेन्द्र कुमार के पिता का नाम हरिप्रसाद के स्थान पर हरीश कुमार किया जाना उचित है।"

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत हल्दैना के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 212 आदेश दिनांक 27.11.2004 में बन्शीधर पुत्र रामचन्द्र का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटि हुई है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 212 को अपास्त किया जाना उचित है।

आदेश

8. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत हल्दैना के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 212 आदेश दिनांक 27.11.2004 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार मण्डावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मण्डावर उक्त नामान्तरकरण सं. 212 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। तहसीलदार मण्डावर को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 06.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)